UPBJ010004592021

न्यायालय Spl. Judge (E.C.Act), Bijnor

पीठासीन अधिकारी– (Shri Honey Goel), **(उच्चतर न्यायिक सेवा)** – UP02408

विशेष सत्रवाद संख्याः– 69/2021

सरकार बनाम तसलीम

धाराः– 138 विद्युत अधिनियम
थाना– कोतवाली शहर, जिला बिजनौर
मु0 अ0 संख्याः–621/2019

आरोप

मैं, हनी गोयल, विशेष न्यायाधीश (ई0 सी0 एक्ट)/अपर सत्र न्यायाधीश, बिजनौर आप अभियुक्त तसलीम को निम्नवत् आरोपित करता हूं।

प्रथमतः यह कि दिनांक 28–06–2019 को, बहद ग्राम भोगनवाला, थाना कोतवाली शहर, जिला बिजनौर के क्षेत्रान्तर्गत पूर्व में बकाया देय पर काटे गये घरेलू विद्युत कनैक्शनो की चैकिंग करने पर पाया गया कि आप अपने पिता के नाम स्वीकृत नलकूप संयोजन संख्या 225/5027/073841 स्वीकृत भार 7.5 हार्सपावर, जो पूर्व में बकाया बिल पर दिनॉक 26–06–2019 को विद्युत बकाया 2,81,665/–रूपये पर अस्थाई रुप से विच्छेदित कर दिया गया था, को चैकिंग के समय आप बिना बकाया जमा करे अवैध रुप से एल0टी0 लाईन से जोड़कर विद्युत चोरी करके अवैध रुप से विद्युत का प्रयोग करते हुये पाये गये। इस प्रकार आपने ऐसा अपराध कारित किया है, जो धारा **138** विद्युत अधिनियम के अधीन दण्डनीय है और इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

एतद्द्वारा आपको आदेशित किया जाता है कि उपरोक्त आरोप हेतु विचारण इस न्यायालय द्वारा किया जाएगा।

(हनी गोयल)
विशेष न्यायाधीश, (ई0 सी0 एक्ट)/
अपर सत्र न्यायाधीश, बिजनौर।

दिनांक– 21–12–2021

आरोप अभियुक्त को पढ़कर सुनाया व समझाया गया, अभियुक्त ने आरोप से इन्कार किया और विचारण की याचना की।

(हनी गोयल)
विशेष न्यायाधीश, (ई0 सी0 एक्ट)/
अपर सत्र न्यायाधीश, बिजनौर।

दिनांक– 21–12–2021

Digitally signed by Honey Goel
Date: 2021.12.21 16:26:50 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court